(80)

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र. कैम्प रीवा म.प्र.

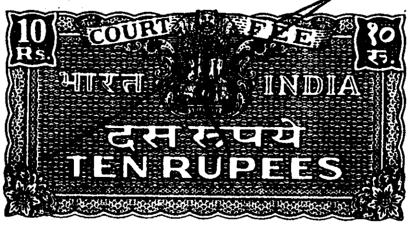

रेस्टो-1334-II/2010

रामप्रभाकर तिवारी ------- आवेदक

बनाम

रामकली व अन्य 2 नफर ---- अनावेदक गण

अपील प्रकरण,
============

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35(3) म.प्र.भू.रा.संहिता
===============

प्रकरण क्रं० अपील-1395/4/8 आदेश 17.9.2010

श्री बी.पी. पाण्डेय अधि. द्वारा दिनांक 17-9-10 को पेश - आ. पृष्ठ 42 प्रस्तुत।

मान्यवर,

आवेदन के आधार निम्न है -

21-9-10

1. यह कि उक्त उन्वान का प्रकरण आज माननीय न्यायालय मे सुनवाई हेतु नियत था, प्रकरण मे आवेदक के अधिवक्ता अन्य न्यायालयीन कार्य मे व्यस्त होने के कारण जब उपरोक्त प्रकरण मे हाजिर होने गये तो पता लगा कि प्रकरण दो बजे के पूर्व ही अदम पैरवी मे निरस्त किया जा चुका है।

2. यह कि प्रकरण मे आवेदक के अधिवक्ता उपरोक्त प्रकरण मे अन्य न्यायालयीन प्रकरण मे व्यस्त होने के कारण उपस्थित नही हुए। इस कारण प्रकरण मे अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया है जो न्याय हित मे पुन: सुनवाई मे लिया जाना न्याय हित मे आवश्यक है। अन्यथा आवेदक को नाहक मे परेशानी उठानी पडेगी। प्रकरण मे आज ही पुर्नस्थापना का आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कारण प्रकरण को पुन: सुनवाई मे लिया जाना न्याय हित मे आवश्यक है।

3. यह कि प्रकरण मे आवेदक के अधिवक्ता ही पैरवी हेतु उपस्थित रहते थे, आवेदक उपस्थित नही होता था, इस कारण प्रकरण मे अदम पैरवी मे निरस्त किया गया है, जिसमे आवेदक का कोई दोष नही है, इस कारण प्रकरण को पुन: सुनवाई मे लिया ...

XXIX(a)-BR(H)-11

(9)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टो. 1334-II/10 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-10-16	आवेदक अभि. श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। मूल प्रकरण साथ रखा जावे। पेशी 27-1-17 आदेश	27.1.17
27.1.17	आवेदक अभि. श्री के.के. द्विवेदी के तर्क सुने। विचारोपरांत दर्शित आवेदन स्वीकार किया जाता है। मूल ~~[illegible]~~ अपील 1385-IV/08 पुनः नम्बर पर ली जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य.	~~28-1-17~~

[कृ. प. उ.